न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)

प्रकाश कुमार बनाम सरकार व अन्य

निगरानी याचिका संख्या – 30/2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.07.2026	निगरानीदार के अधिवक्ता श्री प्रताप सिंह बीदावत उपस्थित। विद्वान लोक अभियोजक एवं परिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सैनी उपस्थित। बहस निगरानी सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता निगरानीदार ने अपनी निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.02.2026 विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल, अवैध है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथम दृष्टया भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं होते क्योंकि कथित विक्रय इकरारनामा दिनांक 24.04.2015 से उत्पन्न विवाद विशुद्ध रूप से सिविल प्रकृति का है। स्वयं परिवादी का कथन है कि निगरानीदार उनके पक्ष में विक्रय विलेख (सेल डीड /रजिस्ट्री) निष्पादित नहीं कर रहा है जबकि मात्र विक्रय विलेख का निष्पादन न करना अथवा अनुबन्ध का पालन न करना अपने आप में धोखाधड़ी का अपराध सिद्ध नहीं करता तथा इससे धारा 420 के आवश्यक घटक परिलक्षित नहीं होते। यह भी तर्क दिया कि अभियोजन सामग्री से प्रारम्भ से ही कपटपूर्ण अथवा धोखाधड़ीपूर्ण आशय का कोई प्रथम दृष्टया आधार नहीं मिलता। विद्वान विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण पत्रावली, प्री–चार्ज साक्ष्य, विशेषकर पीडब्ल्यू–3 मोइनुलहक की गवाही तथा प्रदर्श–01 इकरारनामा विक्रय, प्रदर्श–02 रजिस्टर्ड नोटिस एवं प्रदर्श–05 विधिक नोटिस का समुचित परीक्षण एवं विधिक विश्लेषण नहीं किया। इसके अतिरिक्त आक्षेपित आदेश के पृष्ठ संख्या 2 पर उद्धृत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों एवं उनमें प्रतिपादित सिद्धान्तों पर भी कोई विचार नहीं किया गया तथा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि उक्त नजीरें वर्तमान प्रकरण में क्यों लागू नहीं होती हैं। अतः केवल अनुमान एवं कयास के आधार पर आरोप गठन का आदेश पारित किया गया है, जो विधि की दृष्टि में टिकाऊ नहीं है। इसलिए प्रश्नगत आदेश दिनांक 25.02.2026 को निरस्त कर निगरानीदार प्रकाश कुमार को आरोपों से उन्मोचित किए जाने की प्रार्थना की गई। अपने तर्कों के समर्थन में उन द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्राप्त किए गएः– 1. Rikhab Birani & Anr. v/s State of U.P. Judgement Dated : 16.04.2025 2. Radheyshyam & Ors. v/s State of Rajasthan & Anr. Criminal Appeal No. 3020/2024 Judgement Date : 22.07.2024 इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक एवं परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उपलब्ध प्री–चार्ज साक्ष्य से निगरानीदार के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा 420 का मामला बनता है। उनका कहना था कि शामलाती सम्पत्ति को गुमराह कर बेचने का इकरारनामा किया गया है। परिवादी के साक्ष्य परिवाद एवं प्रसंज्ञान से भिन्न नहीं हैं तथा दस्तावेजों की सत्यता एवं निगरानीदार द्वारा उठाई गई आपत्तियाँ प्रकरण के गुण–दोष से सम्बन्धित प्रश्न हैं, जिनका निर्णय विचारण के दौरान साक्ष्य के आधार पर किया जाएगा। अतः आरोप गठन का आदेश विधिसम्मत होने की बहस करते हुए निरगानी याचिका खारिज किए जाने का निवेदन किया गय बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। आदेश पारित करने से पूर्व न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को आपसी समझाइश एवं समझौते की संभावना के दृष्टिगत न्यायालय में उपस्थित किया गया, किन्तु पर्याप्त	

प्रयासों के उपरान्त भी दोनों पक्षों के मध्य कोई समझौता नहीं हो सका।

आरोप गठन के स्तर पर न्यायालय को साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण अथवा उनके गुण–दोष का अन्तिम मूल्यांकन करना अपेक्षित नहीं होता बल्कि केवल यह देखना होता है कि उपलब्ध सामग्री से अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध का आधार अथवा प्रबल सन्देह परिलक्षित होता है या नहीं। प्रस्तुत प्रकरण में परिवाद, प्री–चार्ज साक्ष्य एवं अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया यह तथ्य उभरकर आता है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी के साथ दिनांक 24.04.2015 को दुकानों के विक्रय का इकरारनामा निष्पादित कर 10,00,000/– प्राप्त किए गए जबकि उसके **एक माह के भीतर ही उन्हीं दुकानों का विक्रय अन्य व्यक्तियों के पक्ष में कर दिया गया। साथ ही परिवादी द्वारा प्रेषित नोटिस एवं विधिक नोटिस के उपरान्त भी न तो परिवादी के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया गया और न ही प्राप्त राशि लौटाई गई।** उपलब्ध सामग्री प्रथम दृष्टया अभियुक्त की प्रवंचनापूर्ण मंशा के सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्न करती है, जिसके आधार पर धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप विचारण हेतु बनना प्रतीत होता है।

निगरानीदार द्वारा यह तर्क दिया गया कि विवाद सिविल प्रकृति का है तथा दस्तावेजों एवं साक्ष्यों का मूल्यांकन उसके पक्ष में किया जाना चाहिए किन्तु ऐसे तर्क साक्ष्य के गुण–दोष एवं प्रतिरक्षा से सम्बन्धित हैं, जिनका परीक्षण विचारण के दौरान ही किया जा सकता है। इस स्तर पर न्यायालय न तो साक्ष्यों की विश्वसनीयता का परीक्षण कर सकता है और न ही अभियुक्त की सम्भावित प्रतिरक्षा पर निर्णय दे सकता है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए आरोप गठित किया जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रश्नगत आदेश में कोई ऐसी वैधानिक त्रुटि, अनियमितता अथवा अधिकारिता सम्बन्धी दोष परिलक्षित नहीं होता, जिससे पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग कर उसमें हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो। फलस्वरूप निगरानी याचिका निराधार होने से खारिज की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2026 को पारित आरोप गठन का आदेश पुष्ट किया जाता है।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीदार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन कर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया गया जो हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों से भिन्न होने से इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। न्यायिक दृष्टान्त Rikhab Birani & Anr. v/s State of U.P. Judgement Dated : 16.04.2025 के मामले में पैरा संख्या 37 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत दिया है कि:–

> **37. The chargesheet states that the offence under Section 420 is not made out The offence of cheating under Section 415 of the IPC requires dishonest inducement, delivering of a property as a result of the inducement, and damage or harm to the person so induced. The offence of cheating is established when the dishonest intention exists at the time when the contract or agreement is entered, for the essential ingredient of the offence of cheating consists of fraudulent or dishonest inducement of a person by deceiving him to deliver any property, to do or omit to do anything which he would not do or omit if he had not been deceived. As per the investigating officer, no fraudulent and dishonest inducement is made out or established at the time when the agreement was entered.**

उपरोक्त प्रकरण में विक्रेता ने क्रेता को शेष रकम अदायगी बाबत नोटिस दिया था ताकि क्रेता के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित किया जा सके और उसके लगभग एक वर्ष पश्चात् उसके द्वारा सम्पत्ति बदली हुई परिस्थितियों में कम कीमत पर विक्रय की गई तथा प्रकरण दीवानी प्रकृति का होना पाया गया और आरोप पत्र में धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित नहीं पाया गया परन्तु हस्तगत प्रकरण में धारा 420

भारतीय दण्ड संहिता का अपराध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अभियुक्त ने परिवादी से सम्पत्ति के विक्रय का इकरारनामा कर 10,00,000/– रुपये प्राप्त किए तथा एक माह के भीतर ही उन्हीं दुकानों का विक्रय अन्य व्यक्तियों के पक्ष में कर दिया। इसके अतिरिक्त परिवादी द्वारा नोटिस एवं विधिक नोटिस दिए जाने के बावजूद न तो उसके पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया गया और न ही प्राप्त राशि लौटाई गई। इन परिस्थितियों से अभियुक्त की मंशा प्रथम दृष्टया आपराधिक होना स्पष्ट दर्शित है।

इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त Radheyshyam & Ors. v/s State of Rajasthan & Anr. Criminal Appeal No. 3020/2024 Judgement Date : 22.07.2024 के मामले में विक्रेता को क्रेता ने शेष राशि लेकर विक्रय पत्र निष्पादित करने का निवेदन किया परन्तु विक्रेता इस बाबत इन्कार हो गया और तुरन्त बाद में क्रेता ने इसी आधार पर सिविल वाद संस्थित कर दिया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने मात्र इकरारनामे की पालना करने से इन्कार करने के आधार पर न्यायिक कार्यवाही करना उचित नहीं माना और धारा 415 भारतीय दण्ड संहिता के घटक नहीं पाए गए थे। जबकि हस्तगत प्रकरण में परिवादी ने अभियुक्त के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए आपराधिक परिवाद प्रस्तुत किया है तथा उपलब्ध प्री–चार्ज साक्ष्य एवं दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया यह तथ्य परिलक्षित होता है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को प्रवंचित कर 10,00,000/– प्राप्त किए गए, तत्पश्चात विवादित संपत्ति का विक्रय अन्य व्यक्तियों के पक्ष में कर दिया गया तथा परिवादी को न तो संपत्ति प्राप्त हुई और न ही उसकी राशि लौटाई गई। इन तथ्यों से प्रथम दृष्टया धारा 415 भारतीय दण्ड संहिता के आवश्यक घटक परिलक्षित होते हैं। अतः उक्त न्यायिक दृष्टान्त के तथ्य हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने के कारण उसका लाभ निगरानीदार को प्राप्त नहीं हो सकता।

आदेश की प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

MOHIT SHARMA
"I attest to the accuracy and authenticity of this document."
2026.07.10 17:23:39 +0530